



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन
(पीआरएन-साउथ-०२))
राजस्थान सरकार



क्रमांक: JDA/2020-21/BPAS/353

दिनांक: 24/02/2021

विषय: — भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 58, स्कीम SUMER NAGAR VISTAR- Q BLOCK, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

श्री/ श्रीमती **M/S SHREE SALASAR DEVELOPERS PROP. CHENARAM CHOUDHARY** फर्म का नाम **M/S SHREE SALASAR DEVELOPERS PROP. CHENARAM CHOUDHARY** निवासी **P. NO. 90, GOVIND NAGAR VISTAR, KALWAR ROAD, JAIPUR**

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 09/02/2021 के संदर्भ में भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 58 ,स्कीम SUMER NAGAR VISTAR- Q BLOCK ,ग्राम ,तहसील जयपुर, में स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 261.92 वर्गमीटर) के RESIDENTIAL (MULTI UNIT HOUSING) के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 16/07/2020 से 5 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार टोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन (पीआरएन-साउथ-०२)) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन (पीआरएन-साउथ-०२)) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

24. एकीकृत भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/ जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

32. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.2/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त / उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी ।

33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

34. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.5/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा ।

37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

38. एकीकृत भवन विनियम, 2017/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

39. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.3/रिको भवन विनियम की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवाये जायें।

43. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.4/ रिको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 / रिको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

उपायुक्त

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन (पीआरएन-साउथ-०२))



Digitally
Signed
by
MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 14:58:19 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

नोट: यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन
(पीआरएन-साउथ-०२))
राजस्थान सरकार



क्रमांक: JDA/2020-21/BPAS/291

दिनांक: 27/01/2021

विषय: — भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 57, स्कीम SUMER NAGAR VISTAR Q-BLOCK, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

श्री/श्रीमती **M/S SHRI SALASAR DEVELOPERS PROP. CHENARAM CHOUDHARY** श्री/श्रीमती **LALARAM CHOUDHARY** निवासी **JHUN KA BASS, KHOOR, SIKAR**

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 08/01/2021 के संदर्भ में भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर 57, स्कीम SUMER NAGAR VISTAR Q-BLOCK, ग्राम, तहसील जयपुर, में स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 242.38 वर्गमीटर) के RESIDENTIAL (MULTI UNIT HOUSING) के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 10/07/2020 से 5 वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन (पीआरएन-साउथ-०२)) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन (पीआरएन-साउथ-०२)) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए प्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं



Digitally Signed by

MAN SINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

24. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावे।

30. भवन निर्माण स्वीकृति मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

31. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/ जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।

32. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.2/रीको भवन विनियम के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त / उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेंगी ।

33. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।

34. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.5/रिको भवन विनियम के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।

35. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।

36. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा ।

37. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

38. एकीकृत भवन विनियम, 2017/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

39. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.3/रिको भवन विनियम की अनुपालना में " गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

40. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

41. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर संपूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया जावे जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

42. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री के आसपास के भवनो के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो और पर्दे लगवाये जायें।

43. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.4/ रिको भवन विनियम के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।



Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

44. उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 / रिको भवन विनियम अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्त का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

उपायुक्त

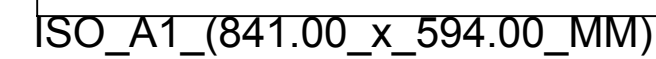
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जोन (पीआरएन-साउथ-०२))



Digitally
Signed
by
MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

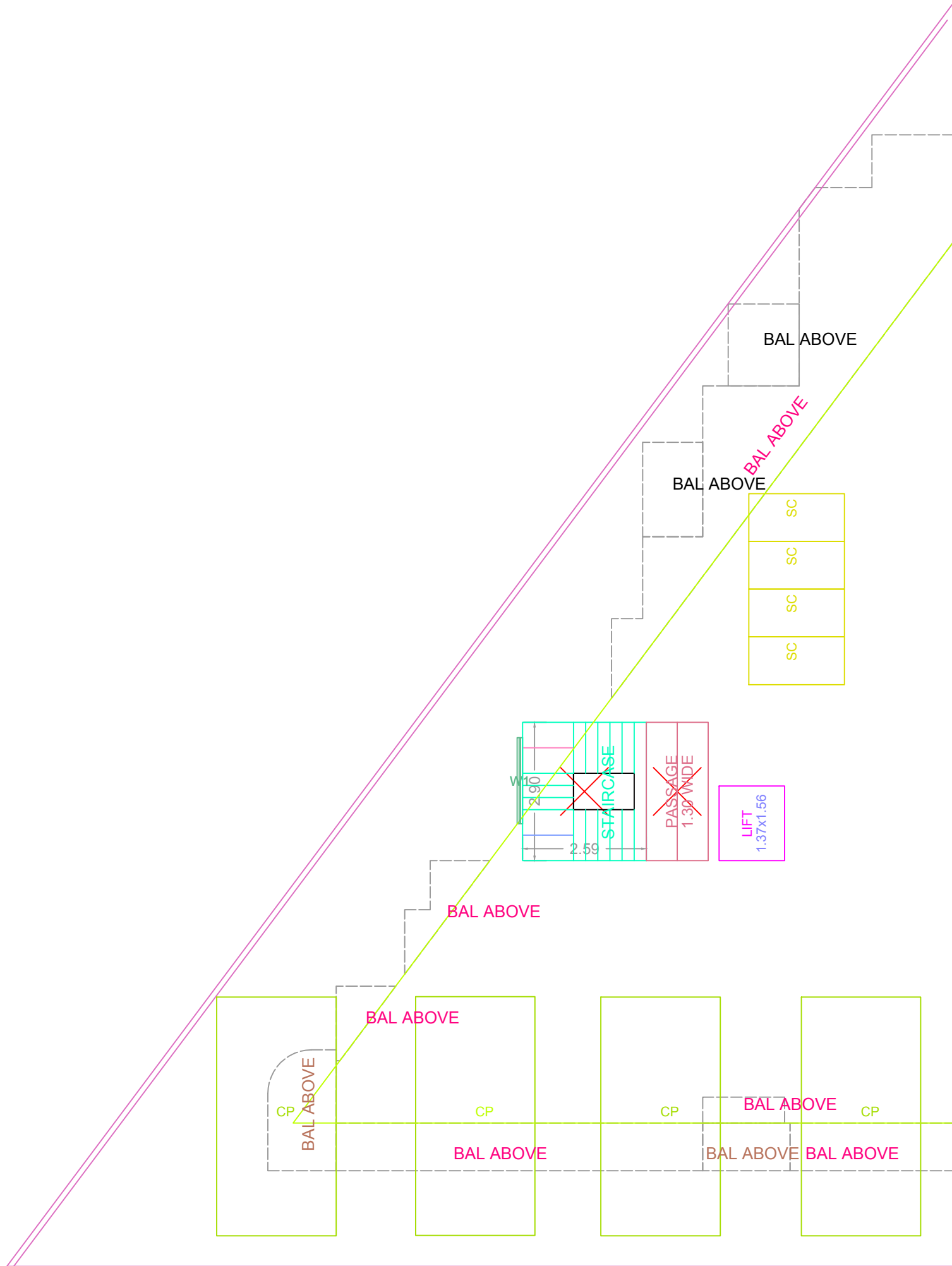
Digitally Signed by MANSINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 13:45:34 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

नोट: यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।



A) AREA STATEMENT		SQ.M.	
1. AREA OF PLOT		261.88	
2. DEDUCTIONS FOR			
(a) ROAD ACQUISITION AREA		000.00	
(b) EXISTING INTERNAL ROAD		0.00	
(c) ANY RESERVATION		0.00	
(d) OTHER		000.00	
TOTAL (a+b+c+d)		0.00	
3. NET GROSS AREA OF PLOT (1-2) :		261.88	
4. DEDUCTIONS FOR		(A)	
(a) TRANSFORMER AREA		000.00	
(b) RECREATION OPEN SPACE		0.00	
(c) INTERNAL ROADS		000.00	
(d) AMENITY SPACE		0.00	
(e) OTHERS		000.00	
TOTAL (a+b+c+d+e)		000.00	
5. NET AREA OF PLOT (3-4) :		(B) 261.88	
6. ADDITION FOR BAR.			
(a) EXISTING INTERNAL ROAD		000.00	
(b) TRANSFORMER AREA		000.00	
(c) RECREATION OPEN SPACE : (NOTIONAL)		000.00	
(d) INTERNAL ROADS		000.00	
(e) AMENITY SPACE	00	0.00	
(f) OTHER ADDITION		0.00	
TOTAL (a+b+c+d+e+f)		0.00	
7. TOTAL AREA (5+6) :		(C) 261.88	
8. BAR. PERMISSIBLE		2.0000	000.00
9. ROAD AREA	AVAILABLE	000.00	000.00
	PERMISSIBLE	40%	000.00
10. TDR AREA		00	0.00
11. PERM. FLOOR AREA (7X8+9+10)		523.75	
12. EXISTING FLOOR AREA		0.00	
13. PROPOSED RESIDENTIAL AREA		507.73	
14. PROPOSED COMMERCIAL AREA		0.00	
15. PROPOSED INDUSTRIAL AREA		0.00	
16. PROPOSED SPECIAL BAR AREA		0.00	
17. EXCESS BALCONY AREA TAKEN IN BAR.		9.64	
18. TOTAL BUILT UP AREA (12 To 17)		517.36	
19. BAR. CONSUMED		1.98	
20. COVERAGE PERMISSIBLE		000.00	9999.99
21. EXISTING COVERAGE		0.00	
22. PROPOSED ABOVE COVERAGE		127.33	
23. PROPOSED BELOW COVERAGE		000.00	
24. TOTAL COVERAGE		127.33	
B) BALCONY STATEMENT			
(a) PERMISSIBLE BALCONY AREA		0.00	
(b) PROPOSED BALCONY AREA		121.73	
(c) EXCESS BALCONY AREA (TOTAL)		9.64	
C) TENEMENT STATEMENT			
(a) NET AREA OF PLOT ITEM A(7)ABOVE		000.00	
(b) LESS NON-RESIDENTIAL AREA (SHOPS ETC.)		0.00	
(c) AREA FOR TENEMENTS (a-b)		386.00	
(d) TENEMENTS PERMISSIBLE		-NA-	
(e) TENEMENTS PROPOSED		-	
D) PARKING STATEMENT			
	CAR	SCOOTER	CYCLE
(a) PARKING PROVIDED	5	4	-NA-
(b) GARAGES PERMISSIBLE	00	00	00
(c) GARAGES PROPOSED	00	00	00

OWNER'S NAME:					OWNER'S SIGN:	
M S SHREE SALASAR DEVELOPERS PROP CHENARAM CHOU						
PROJECT:						
SURVEY NO:						
HISSA NO:			CTS NO:			
PLOT NO:			SOC. NAME:			
FINAL PLOT NO:			PETH:			
ARCHITECT: JITENDRA SHARMA					ARCHITECT'S SIGN:	
	JOB NO.	DRG. NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY	
			1:100			
	INWARD NO.		JDA/2020-21/BPAS/353			
	DATE	11-02-2021	SHEET NO.	1 / 3		



STILT FLOOR PLAN

BALCONY CALCULATIONS: W1 (B1)

FLOOR	SIZE	AREA	TOT. AREA
SECOND FLOOR	0.54 X 1.72 X 1	0.93	40.58
	1.43 X 2.53 X 1	3.44	
	1.00 X 1.95 X 1	1.04	
	3.00 X 11.92 X 1	20.68	
	1.00 X 7.68 X 1	7.68	
FIRST FLOOR	1.00 X 3.41 X 1	3.41	40.58
	1.00 X 1.83 X 1	1.83	
	1.00 X 2.97 X 1	1.57	
	0.54 X 1.72 X 1	0.93	
	1.43 X 2.53 X 1	3.44	
GROUND FLOOR	1.00 X 1.95 X 1	1.04	40.58
	3.00 X 11.92 X 1	20.68	
	1.00 X 7.68 X 1	7.68	
	1.00 X 3.41 X 1	3.41	
	1.00 X 1.83 X 1	1.83	
Total	1.00 X 2.97 X 1	1.57	121.73

OPENING SCHEDULE: W1 (B1)

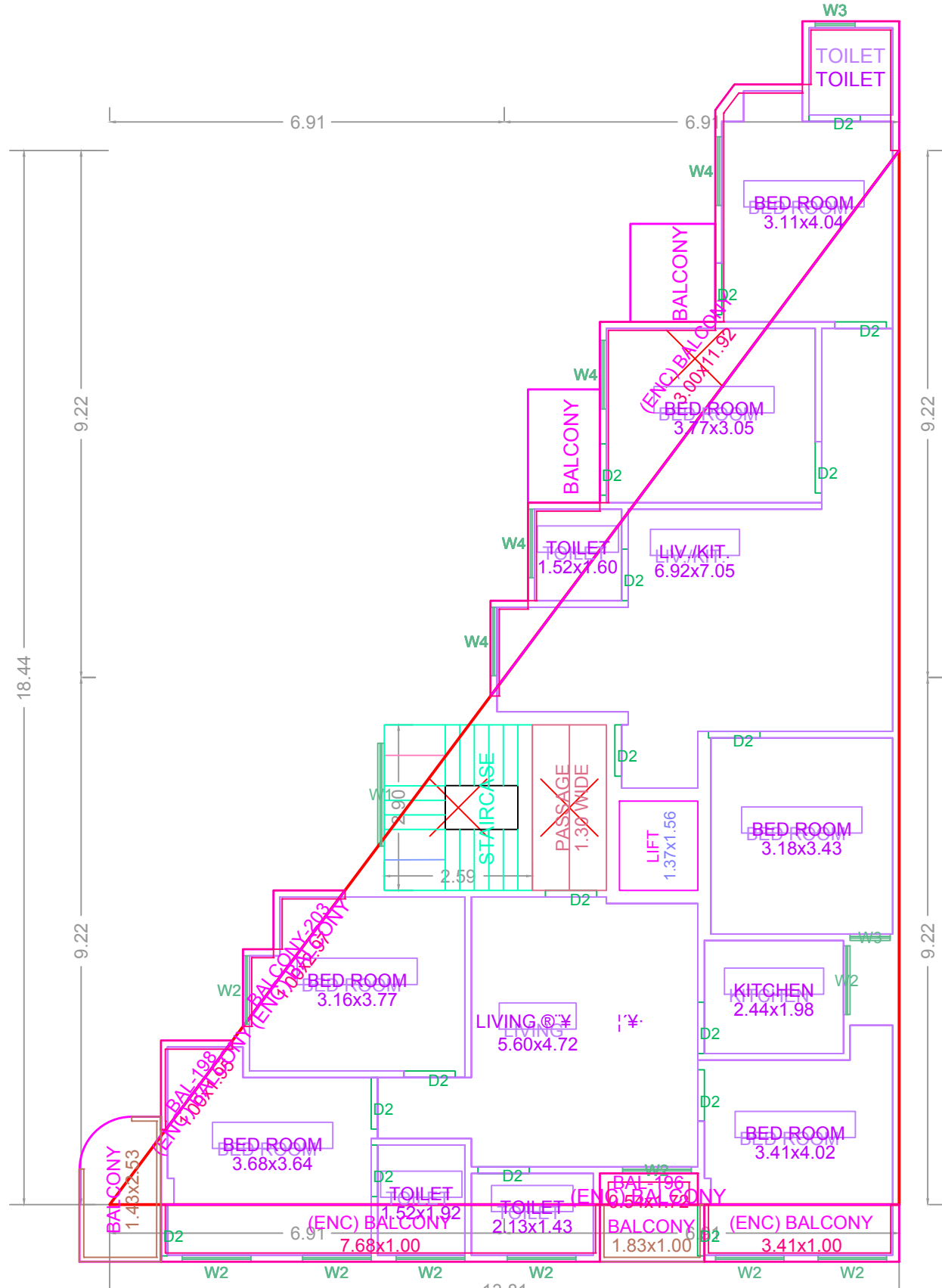
NAME	WIDTH	HEIGHT	NOS.
D2	L	2.10	51

OPENING SCHEDULE: W1 (B1)

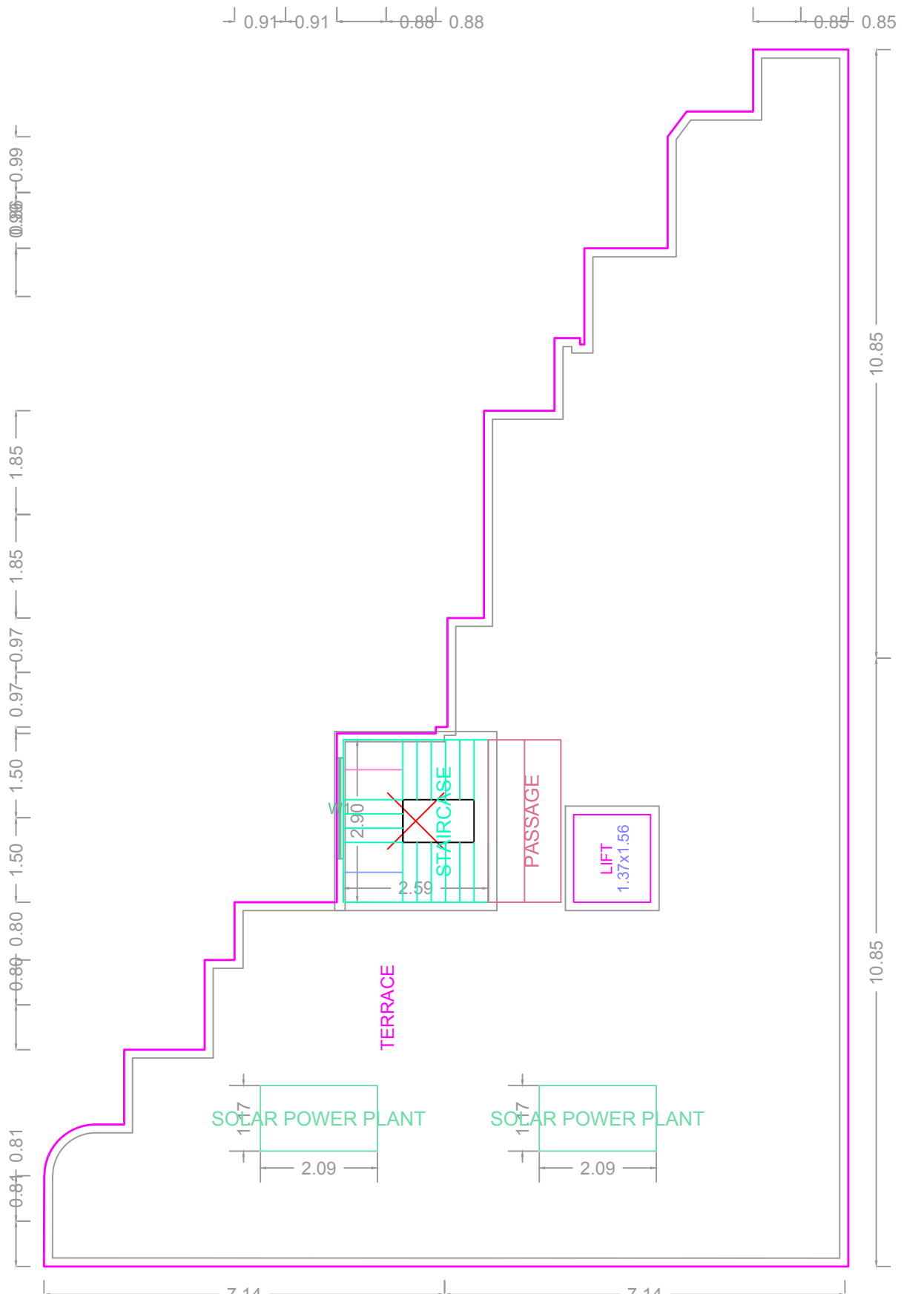
NAME	WIDTH	HEIGHT	NOS.
W3	L	1.20	06
W2	L	1.20	27
W4	L	1.20	12
W1	L	1.20	05

GROSS BUA: W1 (B1)

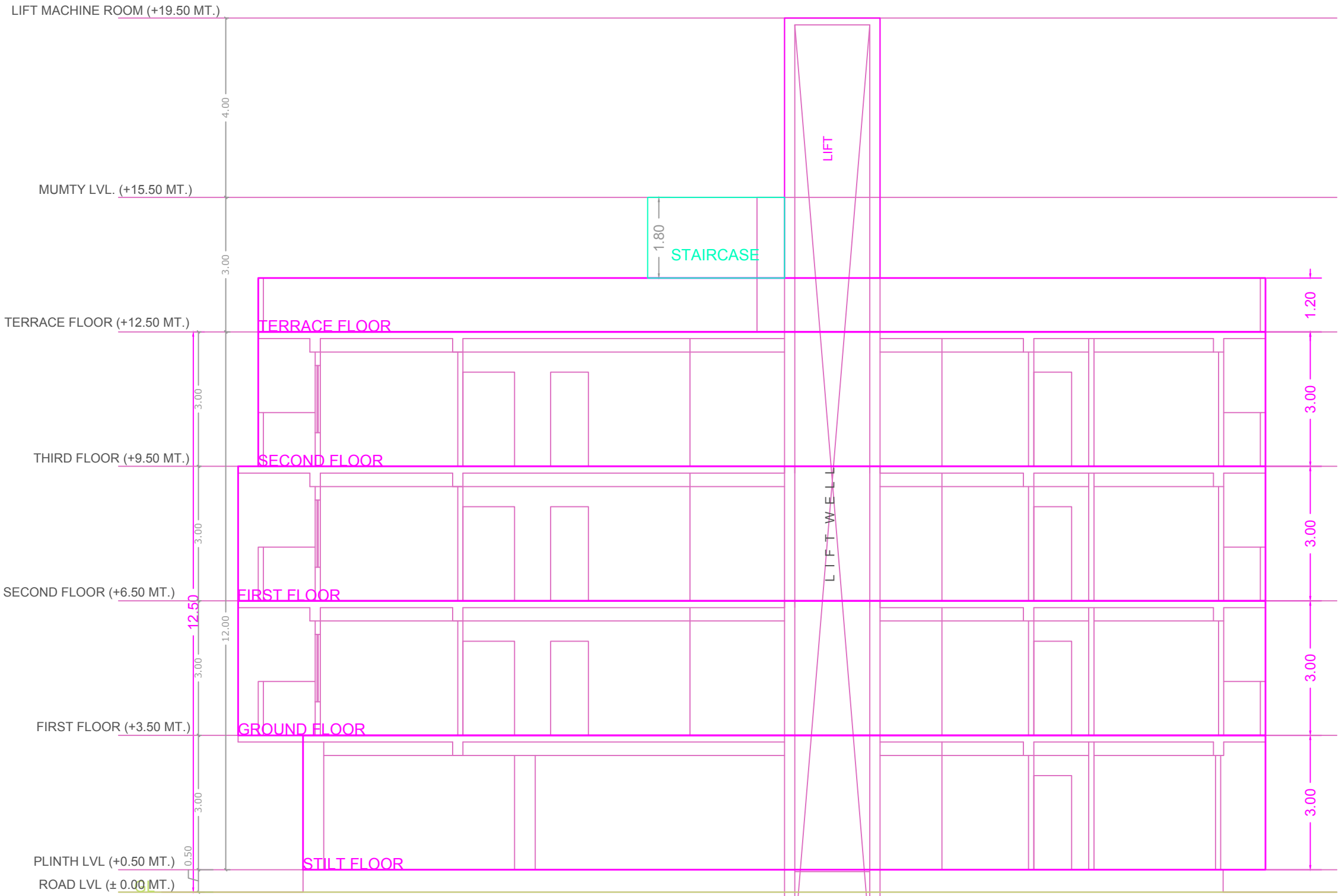
FLOORS	GROSS BUA	DEDUCTIONS	NET BUA
TERRACE FLOOR	000.00	000.00	000.00
SECOND FLOOR	167.91	0.67	167.23
FIRST FLOOR	167.91	0.67	167.23
GROUND FLOOR	167.91	0.67	167.23
STILT FLOOR	000.00	0.00	6.03
Total	503.72	2.02	507.73



TYPICAL - GROUND ,1,2 FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN



SECTION @ Y-Y

SECTION

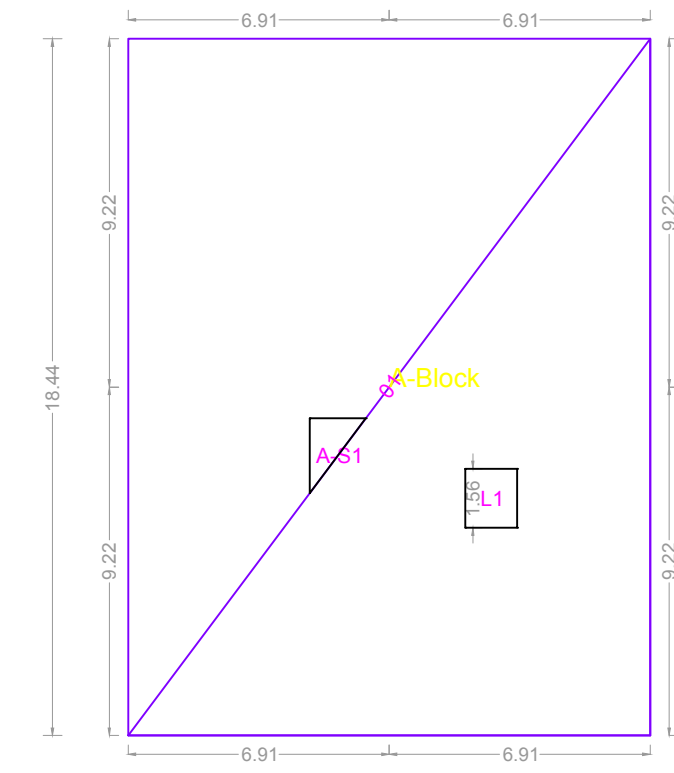
STAMP OF APPROVAL

0

Digitally Signed by MAHESINGH
Designation : DC
Date: 2021.02.24 11:58:24 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

BUILDING: W1 (B1)

TYPICAL - GROUND ,1,2 FLOOR PLAN



Polygon	Area
A-Block	254.66
01	127.33
L1	2.14
A-S1	1.47
Total	126.66

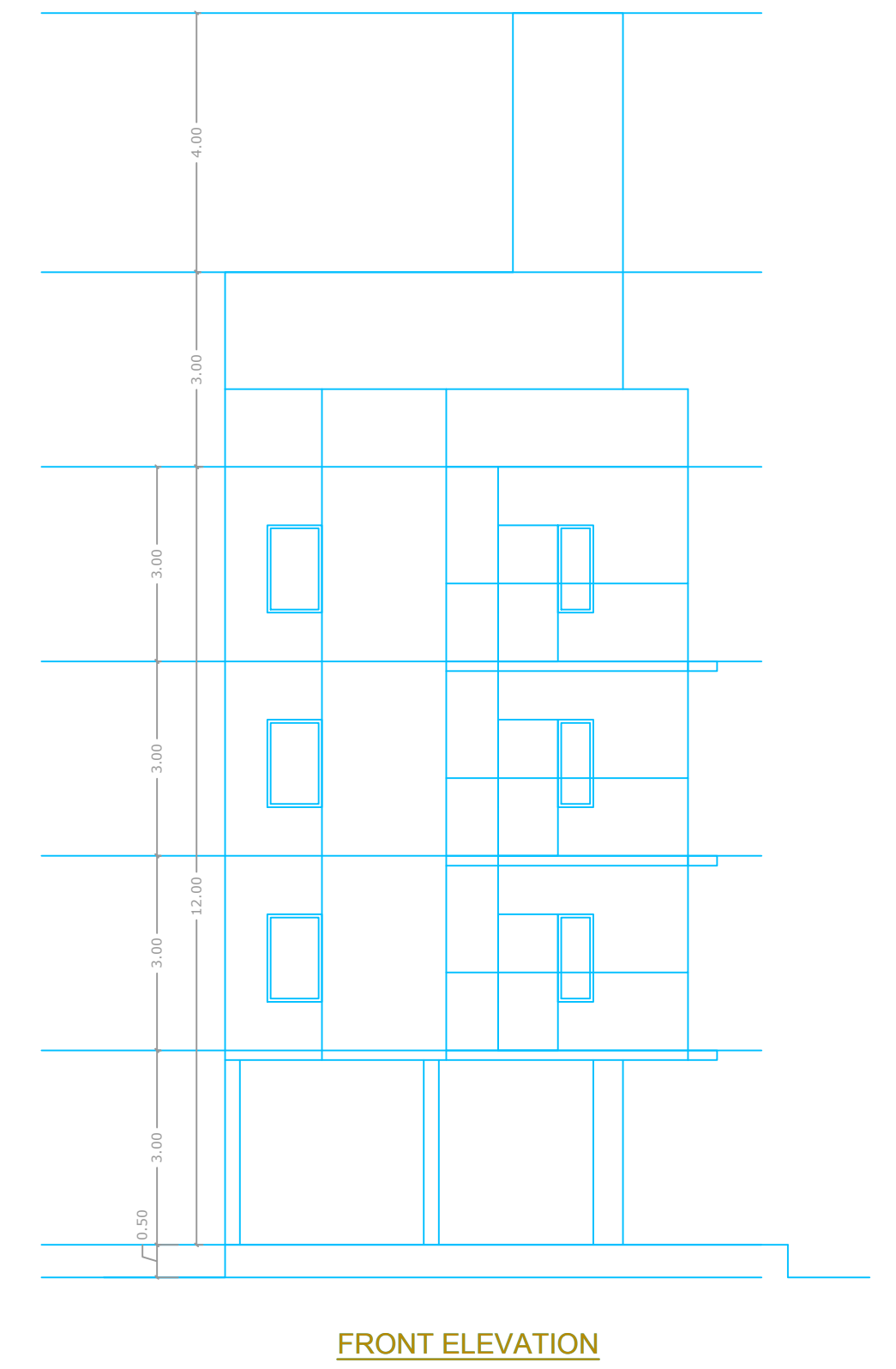
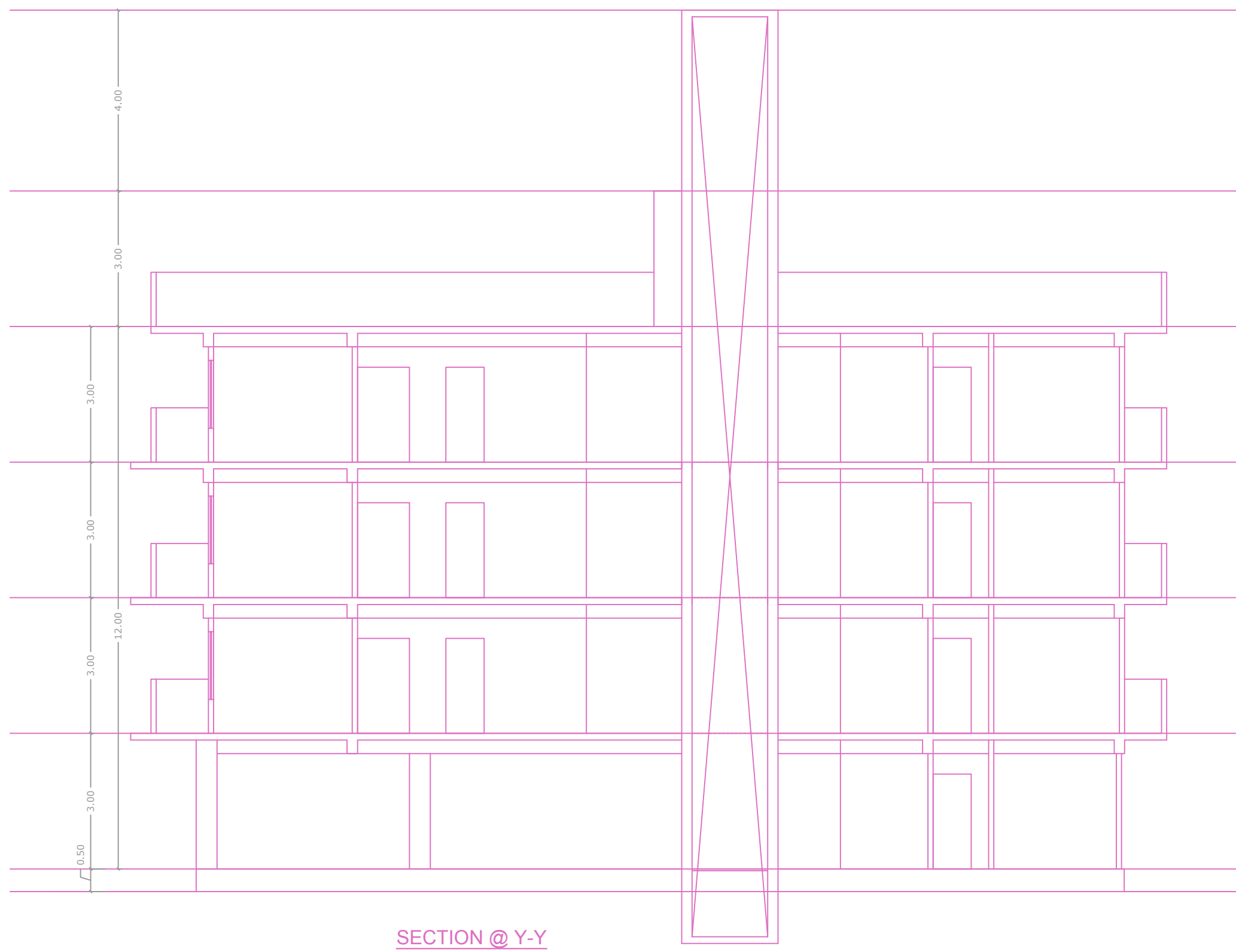
OWNER'S NAME: M S SHREE SALASAR DEVELOPERS PROP CHENARAM CHOUDHAI

PROJECT: SURVEY NO:

HISSA NO: CTS NO: PLOT NO: SOC. NAME: FINAL PLOT NO: PETH:

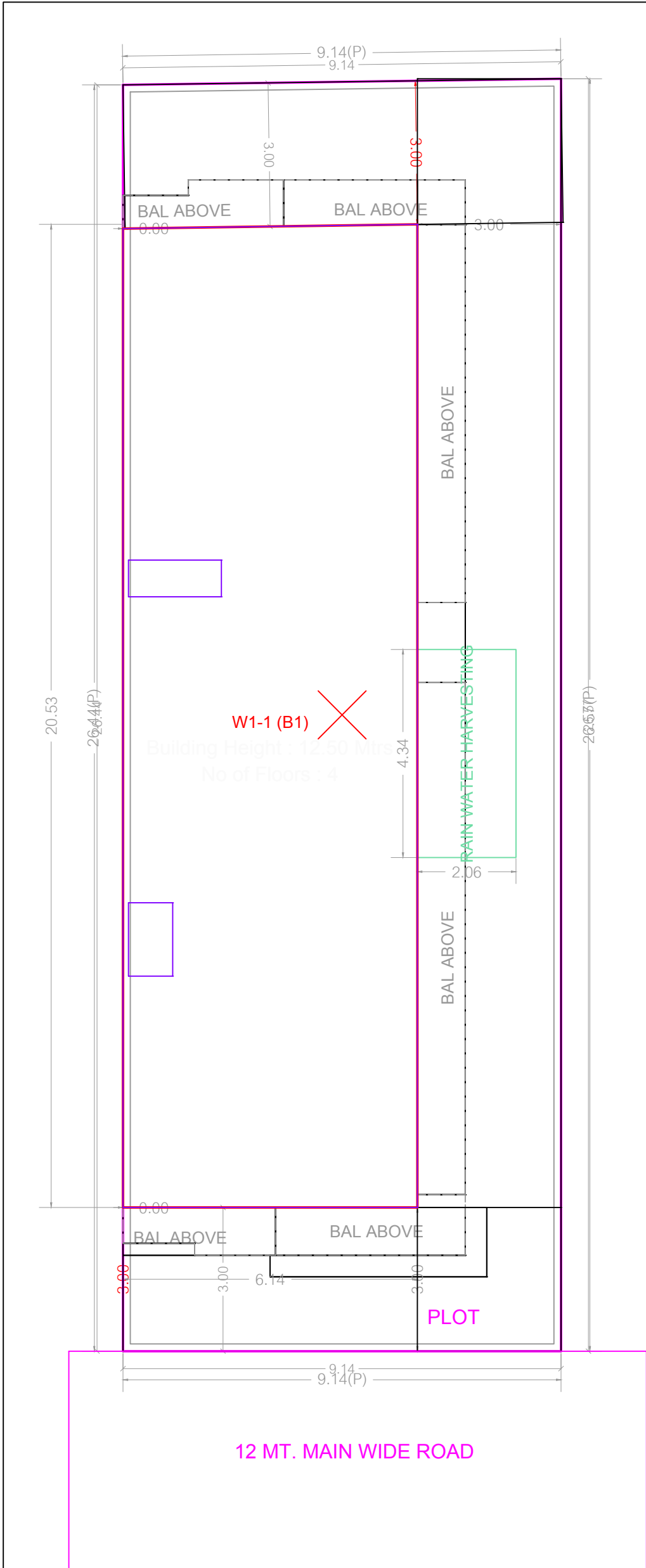
ARCHITECT: JITENDRA SHARMA ARCHITECT'S SIGN:

N	JOB NO.	DRG NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY
	INWARD NO.	JDA/2020-21/BPAS/353	1:100		
	DATE	11-02-2021	SHEET NO.	2 / 3	



STAMP OF APPROVAL	0
 Digitally Signed by MANISINGH Designation : DC Date: 2021.02.24 14:58:24 IST Reason: Approved Location: JAIPUR	
BUILDING: W1 (B1)	

OWNER'S NAME: M S SHREE SALASAR DEVELOPERS PROP CHENARAM CHODHAI					OWNER'S SIGN:	
PROJECT: SURVEY NO:						
HISSA NO: PLOT NO: FINAL PLOT NO:			CTS NO: SOC. NAME: PETH:			
ARCHITECT: JITENDRA SHARMA					ARCHITECT'S SIGN:	
	JOB NO.	DRG.NO.	SCALE	DRAWN BY	CHECKED BY	
			1:100			
INWARD NO.		JDA/2020-21/BPAS/353				
DATE	11-02-2021		SHEET NO.	3 / 3		



LAYOUT PLAN

STAMP OF APPROVAL0

Digitally Signed by MANISH SINGH
Designation : DC
Date: 2021.01.27 11:45:36 IST
Reason: Approved
Location: JAIPUR

Name Of Plot			
A) AREA STATEMENT		SQ.M.	
1. AREA OF PLOT		242.26	
2. DEDUCTIONS FOR			
(a) ROAD ACQUISITION AREA		000.00	
(b) EXISTING INTERNAL ROAD		0.00	
(c) ANY RESERVATION		0.00	
(d) OTHER		000.00	
TOTAL (a+b+c+d)		0.00	
3. NET GROSS AREA OF PLOT (1-2) :		242.26	
4. DEDUCTIONS FOR (A)			
(a) TRANSFORMER AREA		000.00	
(b) RECREATION OPEN SPACE		0.00	
(c) INTERNAL ROADS		000.00	
(d) AMENITY SPACE		0.00	
(e) OTHERS		000.00	
TOTAL (a+b+c+d+e)		000.00	
5. NET AREA OF PLOT (3-4) :		(B) 242.26	
6. ADDITION FOR BAR.			
(a) EXISTING INTERNAL ROAD		000.00	
(b) TRANSFORMER AREA		000.00	
(c) RECREATION OPEN SPACE : (NOTIONAL)		000.00	
(d) INTERNAL ROADS		000.00	
(e) AMENITY SPACE		00	
(f) OTHER ADDITION		0.00	
TOTAL (a+b+c+d+e+f)		0.00	
7. TOTAL AREA (5+6) :		(C) 242.26	
8. BAR. PERMISSIBLE		2.0000 000.00	
9. ROAD AREA		AVAILABLE 000.00	000.00
		PERMISSIBLE 40%	000.00
10. TDR Area		00	
11. PERM. FLOOR AREA (7X8+9+10)		484.51	
12. EXISTING FLOOR AREA		0.00	
13. PROPOSED RESIDENTIAL AREA		518.40	
14. PROPOSED COMMERCIAL AREA		0.00	
15. PROPOSED INDUSTRIAL AREA		0.00	
16. PROPOSED SPECIAL BAR AREA		0.00	
17. EXCESS BALCONY AREA TAKEN IN BAR.		11.40	
18. TOTAL BUILT UP AREA (12 To 17)		529.80	
19. BAR. CONSUMED		2.19	
20. COVERAGE PERMISSIBLE		000.00	9999.99
21. EXISTING COVERAGE		0.00	
22. PROPOSED ABOVE COVERAGE		122.87	
23. PROPOSED BELOW COVERAGE		000.00	
24. TOTAL COVERAGE		122.87	
B) BALCONY STATEMENT			
(a) PERMISSIBLE BALCONY AREA		0.00	
(b) PROPOSED BALCONY AREA		97.94	
(c) EXCESS BALCONY AREA (TOTAL)		11.40	
C) TENEMENT STATEMENT			
(a) NET AREA OF PLOT ITEM A(7)ABOVE		000.00	
(b) LESS NON-RESIDENTIAL AREA (SHOPS ETC.)		0.00	
(c) AREA FOR TENEMENTS (a-b)		420.46	
(d) TENEMENTS PERMISSIBLE		-NA-	
(e) TENEMENTS PROPOSED			
D) PARKING STATEMENT			
		CAR	SCOOTER
(a) PARKING PROVIDED		5	4
(b) GARAGES PERMISSIBLE		00	00
(c) GARAGES PROPOSED		00	00
		CYCLE	
			-NA-

OWNER'S NAME:

OWNER'S SIGN:

M S SHRI SALASAR DEVELOPERS PROP CHENARAM CHOUDHARY

PROJECT:

SURVEY NO:

HISSA NO:

PLOT NO:

FINAL PLOT NO:

CTS NO:

SOC. NAME:

PETH:

ARCHITECT: JITENDRA SHARMA

ARCHITECT'S SIGN:

JOB NO.

DRG.NO.

SCALE

DRAWN BY

CHECKED BY

INWARD NO.

JDA/2020-21/BPAS/291

DATE

08-01-2021

SHEET NO.

1 / 2

